गठवाला खाप भ्रूणहत्या और रेप के आरोपियों को करेगी दंडित

Bhaskar News | Feb 20, 2013, 06:43AM IST

गोहाना. गठवाला खाप के दादा बलजीत सिंह मलिक ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या व गैंगरेप में शामिल खाप के व्यक्तियों को सामाजिक दंड मिलेगा। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना ही खाप की प्राथमिकता है।

खाप समगोत्री विवाह का कड़ा विरोध करेगी तथा भाईचारा बचाने के लिए आसपास के गांवों में शादी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

मंगलवार को गांव तिहाड़ में दादा घासीराम की 145वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बलजीत सिंह मलिक ने कहा कि खापों का काम भाईचारा कायम करना व आपसी द्वेष समाप्त करना है। उनकी खाप ऑनर किलिंग के खिलाफ है।

उत्तरी भारत की सबसे बड़ी खाप के दादा ने कहा कि यदि खाप का कोई व्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या, रेप या गैंगरेप में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सामाजिक कार्रवाई करते हुए सजा दी जाएगी। सजा का फैसला खाप की पंचायत में किया जाएगा। ऐसे घिनौने कृत्य करने वालों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि ऑनर किलिंग पर खापों को किसी प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। इस मौके पर पूर्व सांसद धर्मपाल सिंह मलिक, पूर्व मंत्री वेद सिंह मलिक, कुलबीर मलिक, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन भूपेंद्र सिंह मलिक व उत्तर प्रदेश समेत आसपास के इलाके के अनेक छोटे बड़े नेता मौजूद थे।

कन्या भ्रूणहत्या रोकने की ली शपथ

गांव तिहाड़ में आयोजित गठवाला खाप के दादा स्व. घासीराम मलिक की 145वीं जयंती के मौके पर दादा बलजीत सिंह ने उपस्थित जनसमूह को कन्या भ्रूण हत्या रोकने की शपथ दिलाई।

Source: http://www.bhaskar.com/article/HAR-HIS-khap-gtwala-feticide-4185757-NOR.html?HFS-2=